भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

सं. 458 /07/कल्याण-आईटी/1016-17/केडब्ल्यू-1
दिनांक 15-7-2016

सेवा में,
संबंधित विक्रेता

विषय: डेस्कटॉप पीसी की आपूर्ति एवं इनके प्रतिष्ठापन हेतु उद्धरण

महोदय/महोदया

इस कार्यायल अर्थात भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 में निम्नलिखित कम्प्यूटर हार्डवेयर मदों की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, विन्यास एवं स्थापना हेतु प्रतिष्ठित विक्रेताओं से सीमित निविदा जांच के माध्यम से मुहदबंद उद्धरण आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम सं.	**डेस्कटॉप के लिए अपेक्षित विशेषताएं**	**संख्या**
01	8 एलटीआर से कम वोल्यूम वाले छोटे फॉर्म फैक्टर चैसिस के साथ डेस्कटॉप इंटेल क्यू 170 चिपसैट टीपीएम समर्थ इंटीग्रेटिड इंटेल एचडी ग्राफिक्स 530 10 बाहय यूएसबी: 6x3.0 (2 फ्रन्ट/4रीयर) तथा 4x2.0 (2 फ्रन्ट/2रीयर-पावर शेयर के साथ 1 फ्रन्ट); 1 आंतरिक यूएसबी 2.0;1 आरजे-45; 1 सिरियल; 2 डिस्प्ले पोर्ट 1.2; 1एचडीएमआई 1.4; 2पीएस/2;1 यूएजे, 1 लाईन-आऊट 1 आंतरिक 3.5 '' एचडीडी (22.5'' एचडीडी में रूपांतरणयोग्य) 1 बाह्रय स्लिम ओडीडी 1 हाफ हाइट पीसीएलईx16 1 हाफ हाइट पीसीएलई x4 1 एम 2 (22x80 एमएम) विद्युत आपूर्ति 180 वा. से 85% एफिशिएंट विद्युत आपूर्ति (80 प्लस ब्रोंज) इंटेल कोर आई 7-6700 प्रोसेसर (कवाड कोर, 8एमबी, 8टी, 3.4 जीएचजेड,	**05**

	65 वाट) एनर्जी स्टार वर्जन 6.0 डीवीडी+/-आरडब्ल्यू बीजल, स्माल फॉर्म फैक्टर 32 जीबी (4x8जी) 2133 एमएचजेड डीडीआर 4 मेमोरी 4 डीआईएमएम स्टॉक तक आईटीबी 2.5 इंच साटा 7200 आरपीएम 21.5'' वाइड स्क्रीन मॉनीटर, एलइडी बैक लाइट के साथ यूएसबी ऑप्टिकल माऊस यूएसबी कीबोर्ड विंडो 10 प्रो (64 बिट) इंग्लिश विंडो 10 प्रो ओएस रिकवरी 64 बिट के साथ- डीवीडी मिडिया 3 वर्ष की ओनसाइट सर्विस टूल लैस चैसिस आंतरिक स्पीकर	

2. केवल वह विक्रेता आवेदन करे जो वास्तव में 2-3 सप्ताह में सामग्रियों की आपूर्ति कर सकते हैं।

3. निदेशक (पी), भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को संबोधित '' डेस्कटॉप पीसी की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, विन्यास एवं परीक्षण के लिए उद्धरण'' लिखे हुए मुहरबंद कवर 28.07.2016 को 3:00 बजे अपराहन तक या इससे पूर्व व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय के तीसरें तल पर कक्ष संख्या 305 में श्री परवेज हसन, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (कल्याण-आईटी) को प्रस्तुत किए जाएंगे और उसी दिन 4:00 बजे अपराहन बोली खोली जाएगी। निविदा की आवश्यक निबंधन एवं शर्तें अनुबंध (संलग्न) में सूचीबद्ध है। इस निविदा जांच की प्रति इस कार्यालय की वेबसाइट http://www.saiindia.gov.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

(परवेज हसन)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (क.सू.प्रौ.)

अनुबंध

(निबंधन एवं शर्ते)

1. यह कार्यालय निम्नतम संविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है तथा इसे बिना कोई कारण बताए प्राप्त हुई एक या सभी प्राप्त संविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार है। किसी भी संदर्भ में अपर्याप्त या अपूर्ण अथवा निर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करने वाली संविदाए अस्वीकृति की दायी है। संविदाकार/विक्रेता द्वारा किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने का परिणाम उनकी निविदाओ कीं अस्वीकृति होगा।
2. **अपेक्षित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के निर्माण, मॉडल, टाइप एवं विस्तृत विनिर्देशन उद्धरण में स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए। प्रत्येक अपेक्षित मदों के विभिन्न निर्माण एवं मॉडलों का विकल्प भी बेहतर चयन के लिए संबंधित दरों के साथ उद्धरित किया जा सकता है। वारंटी, सुपुर्दगी अवधि, सस्थांपन प्रभार, यदि कोई हो एवं कर प्रावधान आदि जैसे अन्य विवरण के साथ ही साथ डाटा विस्थापन प्रभार, यदि अपेक्षित हो तो वो भी सूचित किया जाना चाहिए।**
3. निविदाकार/ठेकेदार द्वारा ऐसे प्रमुख संगठन/सरकारी विभागों के आदेशों/पत्रों की प्रतियां जिसके पास निविदाकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे उत्पादों का व्यवसाय/आपूर्ति की है, प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. निविदाकार/फर्म आपूर्ति/सेवाओं के लिए दिल्ली/एनसीआर बिक्री/सेवा कर विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण संख्या आदि दर्शाने वाली प्रमाणीकरण की प्रतियॉ निविदा/उद्धरण के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
5. निविदाकार का कुल कारोबार **₹ 01 करोड़** या इससे अधिक का होना चाहिए। जहां पर भी आवश्यक हो वहां पिछले तीन वित्तीय वर्षों की विक्रेता/फर्म के लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रतियों के साथ आईटी रिटर्न/बैलेंस शीटों की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
6. निविदाकार/फर्म को **टीआईएन/पीएएन** संख्या आदि की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

7. **यदि आवश्यक हो तो ओईएम से अनिवार्य प्राधिकरण प्रमाणपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**

8. 'पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली' के पक्ष में आहरित क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **₹ 10,000** (मात्र दस हजार रूपए) तक की बयाना जमा राशि (ईएमडी) प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9. इसके बाद ठेकेदार के रूप में संदर्भित सफल निविदाकार को कुल ठेका मूल्य के **10%** के बराबर राशि के लिए 'बैंक गारंटी' प्रस्तुत करनी है जिसे वारंटी/समर्थित अवधि की समाप्ति पर जारी किया जाएगा।

10. सभी तकनीकी सवाल/शिकायत जो भी अनिश्चत हो, को सम्पूर्ण वारंटी/सहायक अवधि के दौरान शीघ्रता पूर्वक निपटाना चाहिए।

11. विक्रेता/ठेकेदार द्वारा उपयोक्ता की आवश्यकता तथा स्थिति के आधार पर निशुल्क आवश्यक प्रशिक्षण, जो एक मुश्त हो सकता है अथवा अलग अलग खण्डों में हों, का प्रबन्ध किया जाएगा।

12. समग्र वारन्टी/समर्थन अवधि के दौरान संबंधित उपयोक्ताओं के लिए अथवा मॉग आधार पर जब भी आवश्यकता हो, हार्डवेयर/साफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए आवश्यक आरंभिक प्रशिक्षण/समर्थन सेवाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

13. यदि संविदाकार कार्यभार को पूरा करने में विफल होता है या वारन्टी/सर्मथन अवधि के दौरान संतोषजनक सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो उसको दिया गया ठेका नोटिस दिये बिना अथवा उसके लिए कोई कारण बताये बिना रद्द कर दिया जाएगा तथा बैंक गारंटी को आनुपातिक रूप से या पूरा भुनाया जाएगा ओर उसको देय राशि यदि कोई हो तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में, निदेशक (कार्मिक) का निर्णय अंतिम होगा तथा संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा।

14. यदि कोई चूक देखी जाती हैं या वारंटी/समर्थन अवधि के दौरान उपयोगकर्ताओं द्वारा कोई शिकायत की जाती है तो विलंबित सुधार या किसी अन्य कारण की वजह से कार्य की किसी अव्यवस्था के लिए मुआवजे की उगाही पर ठेकेदार से जुर्माना दावा लागू करके इस कार्यालय के निदेशक (कार्मिक) द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
15. विक्रेता आदेश में दिए गए अन्यथा को छोड़ कर इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित सहमति के बिना कार्य को पूर्ण तथा अंशतः सब्लेट नहीं करेगा। यदि ऐसी सहमति दी गई है तो यह ठेकेदार को ठेके के अंतर्गत किसी जवाबदेही या उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगी तथा वह अपनी तथा अपने एजेंटो के नौकरों अथवा श्रमिकों के कार्यों, चूकों तथा लापरवाहियों के लिए उत्तरदायी होगा।
16. ठेकेदार संविदा की अवधि के दौरान कामगारों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए अथवा जनता की सुरक्षा एवं अन्य बीमा प्रावधानों के लिए दिल्ली की एनसीटी सरकार अथवा केंद्रीय सरकार अथवा इस कार्यालय एवं अन्य सभी स्थानीय प्राधिकरणों के विनियमों तथा सहायक कानूनों, राज्य विधायिका तथा संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न मजदूर अधिनियमों में दिये गए प्रावधानों तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि विनियम इत्यादि के अंतर्गत दिये गए नियमों सहित बनाए गए कानूनों का पालन तथा अनुपालन करेगा।
17. ठेकेदार संविदा के क्रियान्वयन के समय अपने कामगारों/इंजीनियर अथवा कार्यालय परिसर में अन्य व्यक्तियों को तथा सम्पदा के किसी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के लिए किसी देयता के विरूद्ध इस कार्यालय की क्षतिपूर्ति करेगा।

(परवेज हसन)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (क.सू. प्रौ)